भग 250 भारतीय (हिन्दुओं) का धर्म परिवर्तन कराकर उनको ईसाई बनाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने समाचार देखा है। मध्य प्रदेश धर्म-स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 के सिवाय जो हाल में 20 अक्तूबर, 1968 से लागू हुआ है, एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तनों की सूचना दिये जाने अथवा पंजीकरण के लिये कोई कानून नहीं है। तथापि यह मानने के लिए सरकार के पास कोई आधार नहीं है कि समाचार में बताई गई स्थिति सही है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 25(1) के उपबन्धों के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। अतः धर्म-परिवर्तन को ही केवल एक राष्ट्र-विरोधी गतिविधि नहीं समझा जा सकता।

सीधी भर्ती के फलस्वरूप असंतोष

*738. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय में सहायकों (असिस्टेंटों) तथा अनुभाग अधिकारियों की सीधी भर्ती किये जाने के फलस्वरूप बड़ा असन्तोष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारी यह तरीका इसलिए अपना रहे हैं जिससे वे इन पदों पर अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को 'बैक-डोर' से नियुक्त करा सकें;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नीति के फलस्वरूप अनेक अत्यन्त दक्ष व्यक्तियों को उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी वर्गों में सीधी भर्ती बन्द करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). अनुभाग अधिकारी और सहायक के ग्रेडों में सीधी भर्ती केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 द्वारा विनियमित की जाती है। इन नियमों में उन ग्रेडों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये नियत कोटे की व्यवस्था है। नियमों के अधीन सीधी भर्ती का कोटा समय-समय पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भरना पड़ता है। अतएव केवल वे व्यक्ति अनुभाग अधिकारी और सहायक के ग्रेडों में सीधे नियुक्त किये जाएंगे जो परीक्षा में सफल होंगे और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी नियुक्ति के लिए संस्तुति की जायगी। इस प्रकार इन ग्रेडों में कोई अनियमित तरीके से भर्ती नहीं होती है। तथापि 'सर्विस एसोसिएशनों' की ओर से यह मांग है कि इन ग्रेडों में सीधी भर्ती बन्द की जाय।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) सचिवालय में दक्षता का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नियमों के अधीन पदों के एक निर्धारित प्रतिशत पर सीधी भर्ती करके सेवाओं के विभिन्न स्तरों में युवा उम्मीदवारों को लाया जाये।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से लिया गया परीक्षा शुल्क

*739. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा को